HINDUSTAN URVARAK & RASHAYAN LIMITED

(A Joint Venture of CIL,NTPC,IOCL,FCIL & HFCL)

Vigilance Awareness Week

(26th Oct 2021-01st Nov 2021)

स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

INDEPENDENT INDIA @ 75: SELF RELIANCE WITH INTEGRITY

एच यू आर एल की ब्व्हिसल ब्लोअर नीति।

विसलब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर है लेकिन इसे ज्यादा सुगम और सरल बनाने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में स्लाइड के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है ।

Whistle Blower policy of HURL

This policy is available at company's website but in order to make it more simple and approachable, it is being shown in HINDI and ENGLISH.

उद्देश्य

कंपनी में पारदर्शिता और विश्वास की संस्कृति का निर्माण और मजबूती प्रदान करना एवं कर्मचारियों को एक ढांचा/प्रक्रिया प्रदान करना ताकि कंपनी के भीतर अनुचित गतिविधियों (व्हिसलब्लोइंग) की जिम्मेदार और सुरक्षित रिपोर्टिंग की जा सके और कंपनी में अनुचित गतिविधि (व्हिसलब्लोइंग)/गंभीर अनियमितताओं को अभिव्यक्त करने के इच्छुक व्हिसलब्लोअर की रक्षा की जा सके ।

व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्य-निष्ठा और नैतिक व्यवहार केउच्चतम मानकों को अपनाकर कंपनियों केव्यवसाय को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकेसे संचालित करना।

.

OBJECTIVE

To Build and strengthen a culture of transparency and trust in the company and to provide Employees with a Framework/ procedure for responsible and Secure reporting of improper activities (whistleblowing) within the company and to protect the whistleblower wishing to raise a concern about improper activity (whistleblowing)/serious irregularities in the company.

Conducting companies business in a fair and transparent manner by adopting the highest standard of professionalism, honesty integrity and ethical behavior.

व्हिसल ब्लोअर

(शिकायतकर्ता)

एक कर्मचारी या कर्मचारियों का एक समूह जो इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण(प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर) करता है Iउसे इस नीति में शिकायतकर्ता भी कहा गया हैI

Whistleblower (Complainant)

An employee or a group of employees who make a protected disclosures under this policy and also referred in this policy as the complainant.

परिभाषाएं

कर्मचारी
सभी वर्तमान कर्मचारी और कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक।

स्कोप

कंपनी के संबंध में यह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए आकलन/निष्कर्ष नहीं ।यह मामले से संबंधित विशेष जानकारी होनी चाहिए ताकि मामले की प्रकृति और गंभीरता का ठीक ढंग से आकलन किया जा सके ।

विषय

एक व्यक्ति या समूह, **जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है या जांच के दौरान सबूत इकट्ठा किए जाते हैं।**

Definitions

Employees

All present employees and whole time Directors of the company.

Scope

With respect to company, it should be factual and not speculative or in nature of an interpretation /Conclusion and should contain as much specific information as possible to allow for proper assessment of the nature and extent of the concern.

Subject

A person or group of persons against or in relation to whom a protected disclosure is made or evidence gathered during the course of an investigation.

Definitions

अनपालन अधिकारी ु

विसलब्लोअर से शिकायत प्राप्त करने के लिए निय ुक्त किए गए अधिकारी, जो मामले से संबंधित रिकॉर्ड रखते हैं और लेखा समिति के सामने मामले को रखते हैं और रिजल्ट की सूचना भी विसलब्लोअर को देते हैं ।

सक्षम प्राधिकारी

कंपनी के प्रबंध निदेशक या दूसरे ऐसे व्यक्ति जिसे प्रबंध निदेशक समय-समय पर इस नीति के अंतर्गत अपनी शक्तियों को सक्षम प्राधिकारी के तौर पर प्रदान करते हैं

Definitions

Compliance officer:

An officer appointed to receive protected disclosures from whistleblowers maintaining records thereof, placing the same before the audit committee for its disposal and informing the whistleblower the result thereof.

Competent authority

Means Managing Director of company and will include any person to whom he may delegate any of his powers as a Competent Authority under this policy from time to time.

Defnitions

"**कथित गलत आचरण**" का अर्थ होगा कान ून का उल्लंघन, कंपनी के नियमों, नीतियों का उल्लंघन, धन का दुरुपयोग, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पर्याप्त और विशिष्ट खतरा या अधिकार का दुरुपयोग"।

"**लेखा समिति**" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानोंकेुसार कं अन पनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति है।

"**बोर्ड**" का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल से है।

"**प्रेरित शिकायत**" का अर्थ है कि शिकायत को प्रेरित माना जाएगा यदि यह जानबूझकर बदला / दुश्मनी / शरारत या बाहरी विचार से प्रेरित झूठी पाई जाती है।

"**अनुशासनात्मक प्राधिकरण" का** अर्थ है सी डी ए नियमों में परिभाषित अनुशासनात्मक प्राधिकरण।

Defnitions

"**ALLEGED WRONGFUL CONDUCT**" Shall mean violation of law , infringement of company's rules, policies, misappropriation of money, actual or suspected fraud, substantial and specific danger

to public health and safety or abuse of authority" .

''**Audit Committee**'' means a committee constituted by the board of directors of the company in accordance with the provision of the companies Act, 2013.

''**Board**'' means the Board of Directors of the company.

"**Motivated Complaint**" means a complaint shall be deemed to be motivated if it is found to be deliberately false of motivated by revenge/enmity/mischief or extraneous consideration.

"Disciplinary Authority" means the Disciplinary Authority as defined in the CDA rules.

व्हिसल ब्लोअर/ रिपोर्टिंग पार्टी की भूमिका

उसे जांच में भाग लेने या जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

उसके लिखित अनुरोध पर कानूनी या अन्य कारणों से के अलावा उसके रिपोर्ट के स्वभाव के बारे में सूचित किया जाएगा।

सही मायने में विसलब्लोअर को अनुचित व्यवहार / उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यदि, इस संरक्षण का उसके द्वारा दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

व्हिसलब्लोअर की सूचना, जो बाद में प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा पाई जाती है तो व्हिसलब्लोअर , लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

Role of whistleblower /reporting party with relevant information

Will not conduct any Investigation on his own.

has no right to participate in investigation.

The whistleblower shall have a right to be informed of the disposition of his disclosure except for overriding legal or other reasons on his written request.

Genuine whistleblowers will be accorded protection from any kind of unfair treatment /Victimization. However, any abuse of his protection will warrant disciplinary action against him.

Whistleblowers who make any protected disclosures, which have been subsequently found to be motivated, malafide or malicious or reported otherwise than in good faith, will be liable for disciplinary action as per applicable service rules.

Defnitions

Employee-All employees of HURL and Permanent Directors.

Scope

With respect to company, it should be factual and not speculative or in nature of an interpretation /Conclusion and should contain as much specific information as possible to allow for proper

assessment of the nature and extent of the concern.

Subject

A person or group of persons against or in relation to whom a protected disclosure is made or evidence gathered during the

course of an investigation.

विसलब्लोअर की सुरक्षा

1. व्हिसल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
2. व्हिसल ब्लोअर द्वारा इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना देने के आधार पर उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी अनुचित व्यवहार जैसे प्रतिशोध, धमकी या सेवा के निलंबन/निलंबन की धमकी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण पदावनति, पदोन्नति से इनकार, या इस तरह के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग के खिलाफ पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आगे संरक्षित प्रकटीकरण सहित अपने कर्तव्यों/कार्यों को जारी रखने के व्हिसल ब्लोअर के अधिकार को बाधित करता है।
4. यदि व्हिसल ब्लोअर को आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य देने की आवश्यकता होती है, तो व्हिसिल ब्लोअर के लिए प्रक्रिया के बारे में सलाह प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। व्हिसल ब्लोअर द्वारा उपरोक्त के संबंध में, यात्रा आदि के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सामान्य पात्रता के अनुसार की जाएगी।

व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा

5. एक व्हिसल ब्लोअर सक्षम प्राधिकारी को उपरोक्त खंड के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है जो इसकी जांच करेगा और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

6. उक्त जांच में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी उसी सीमा तक संरक्षित किया जाएगा जिस सीमा तक व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

7. व्हिसल ब्लोअर के पास उत्पीड़न के खिलाफ ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष तक पहुंच होगी।

Protection of Whistle Blower

1. The identity of the Whistle Blower shall be kept confidential.

2. No unfair treatment will be meted out to Whistle Blower by virtue of his/her having reported a Protected Disclosure under this policy.

3. Complete protection, will be given to Whistle Blowers against any unfair practice like retaliation, threat or intimidation of termination /suspension of service, disciplinary action, transfer, demotion, refusal of promotion, or the like including any direct or indirect use of authority to obstruct the Whistle Blower's right to continue to perform his duties/functions including making further protected Disclosure.

4. If the Whistle Blower is required to give evidence in criminal or disciplinary proceedings, arrangements will be made for the Whistle Blower to receive advice about the procedure.

Expenses incurred by the Whistle Blower in connection with the above, towards travel etc. will be reimbursed as per normal entitlements.

Protection of Whistle Blower

5. A Whistle Blower may report any violation of the above clause to the competent Authority who shall investigate into the same and take corrective action as may be required.

6. Any other Employee assisting in the said investigation shall also be protected to the same extent as the Whistle Blower.

7. Whistle Blower shall have access to the chairmen, Audit committee against victimization.

व्हिसलब्लोअर के अयोग्य होने की स्थितियां

व्हिसलब्लोअर ,जो तीन ऐसे मामलों का रिपोर्ट करता है, जो बाद में दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ, निराधार, अन्यथा रिपोर्ट किए गए पाए जाते हैं , उन्हें इस नीति के तहत आगे संरक्षित प्रकटीकरण की रिपोर्ट करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

Disqualification of Whistleblower

Whistleblowers who make 3 protected disclosures which have been subsequently found to be malaified, frivolous, baseless, malicious or reported otherwise than in good faith will be disqualified from reporting further protected disclosure under this policy.

बेनामी-
छद्मनामी शिकायत

बेनामी(Anonymous)- बिना किसी नाम और शिकायतकर्ता का पता दिए बिना ।

छद्मनामी शिकायत-(Pseudonymous complaints) एक काल्पनिक नाम (अपने मूल या असली नाम से भिन्न) से किसी विशेष प्रयोजन से की गई शिकायत, ।

बेनामी/ **छद्मनामी** शिकायतें अनुपालन अधिकारी स्वीकार नहीं की जाएंगी।

Anonymous / Pseudonymous complaints

Anonymous-Not bearing any name and address of the complainant

Pseudonymous complaints -Complaint through a fictitious name that a person or group assumes for a particular purpose, which differs from their original or true name

Anonymous / Pseudonymous complaints shall not be entertained by the compliance officer.

विसलब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत शिकायत लिखना

शिकायत हाथ से स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए या हिन्दी या अंग्रेजी में टाइप होनी चाहिए, जो दो भागों में होगी -

i) प्रथम भाग -संदर्भ पत्र होगा जिसमें शिकायतकर्ता का नाम ,पता और हस्ताक्षर होगा।

ii) दृवितीय भाग -पहचान के बिना सामग्री (संरक्षित प्रकटीकरण/प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर)- इसमें पहचान के बिना शिकायत का मूल विषय लिखा होगा।इसमें शिकायतकर्ता का नाम एवं पता नहीं होगा।

इसे एक बंद और सुरक्षित लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए। लिफाफा को अधोलिखित रूप में सुपरस्क्राइब किया जाएगा ।

"व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत स ुरक्षित प्रकटीकरण (प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर)।" शिकायतकर्ता का नाम / पता लिफाफा पर नहीं लिखा जाना चाहिए और ना ही अनुपालन(कंप्लायंस) अधिकारी के साथ कोई पत्राचार किया जाना चाहिए।

अनपुालन अधिकारी / लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष / और अध्यक्ष जिसके भी पास शिकायत होगी, पहचान वाले भाग को मुख्य विषय वाले भाग से अलग करके केवल मुख्य विषय को ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे ।

Writing complaint

Complaint should be written legibly by hand or typed in Hindi or English in two parts-

i) Covering letter signed and bearing name/address of the complainant and

ii) The content(protected disclosure) without identity.

It should be submitted in a closed and Secured envelope.

Superscribe envelope as "Protected disclosure under the whistle blower policy",.

Name/ address(of the complainant) should not be written on the envelope and no correspondence with compliance officer should be made . He will contact , if required.

The Compliance officer /Chairman of the Audit Committee/ and the Chairman as the case may be, shall detach the covering letter bearing the identity of Whistleblower and process only the Protected Disclosure.

अनुपालन अधिकारी का पता

(निदेशक पद से नीचे वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत हेतु ।)

श्रीके पी. गुप्ता, कंपनी सचिव
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
कोर-4, नवी मंजिल, स्कोप मीनार
लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र
दिल्ली- 110092

Address of Compliance Officer

(For complaint against the employees below Director level)

Shri KP Gupta, Company Secretary

Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

Core-4, 9th floor Scope Minar

Laxmi Nagar District Centre

Delhi -110092

प्रबंध निदेशक के संपर्क विवरण

(अनुपालन अधिकारी के खिलाफ शिकायत के लिए)

श्री ए .के. गुप्ता,

प्रबंध निदेशक

, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

कोर -4, 9 वीं मंजिल स्कोप मीनार
लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर
दिल्ली- 110092

Contact details of Managing Director

(For complaint against Compliance Officer)

Sri AK Gupta,

Managing Director,
Hindustan urvarak and Rasayan Limited
Core-4, 9th floor Scope Minar
Laxmi Nagar District Centre
Delhi- 110092

अध्यक्ष,लेखा समिति के संपर्क विवरण

(प्रबंध निदेशक / सी . एफ . ओ . के खिलाफ शिकायत के लिए)

श्री बूथुकुरी वीरा रेड्डी,
अधयक्ष, लेखा परीक्षा समिति
निदेशक, तकनीकी, कोल इंडिया लिमिटेड
कोयला भवन
परिसर नं. 04, एम . ए . आर .
पलॉट नं I, AF-III, एकशन एरिया -1A
नयू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156

Contact details of Chairman of the Audit Committee

(for complaint against Chairman/CFO)

Shri Boothukuri Veera Reddy
Chairman, Audit Committee of HURL Director,
Technical, Coal India Limited Coal Bhavan
Premise no. 04 MAR
Plot no. I, AF -III, Action Area 1A New town Rajarhat
Kolkata -700156

THANK YOU